

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

व्य.वाद क.300021ए/2015
संस्थित दिनांक-26.05.2015
फा.नंबर-5032015

मो० हुसैन आयु 40 वर्ष पिता मो० गुलाब, जाति मुसलमान,
निवासी ग्राम गुदमा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र)वादी

:: विरुद्ध ::

1.नायब तहसीलदार महोदय, उकवा तहसील परसवाड़ा,
2.लक्ष्मण मोहबीया पटवारी, प.ह.नं.25 उकवा,
3.मध्यप्रदेश शासन द्वारा-कलेक्टर महोदय बालाघाट
जिला बालाघाट मध्यप्रदेश।प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

(आज दिनांक-18/07/17 को घोषित किया गया)

1- यह वाद मौजा गुदमा, प.ह.नंबर-25, तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट में स्थित विवादित भूमि खसरा नंबर-194/1 में से रकबा $2^{1/2}$ डिसमिल भूमि पर वर्ष 1994 से व राजस्व प्रकरण क्रमांक 902बी-121/2003-04 आदेश दिनांक 24.08.2004 के अनुसार स्वत्व घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी उपरोक्त वर्णित स्थान का निवासी होकर ग्राम पंचायत गुदमा अंतर्गत रेंज ऑफिस चौक उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट में चाय-पान(जलपान गृह) की दुकान का संचालन कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रतिवादी क्रमांक 01 नायब तहसीलदार महोदय उकवा के पद पर पदस्थ है, जिन्हें वादी को वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 194/1 से अतिक्रमण के संबंध में सूचना पत्र प्रेषित करने जिसमें लेख है कि अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने तथा अतिक्रमित भूमि के बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा, के आशय की सूचना दिये जाने के कारण पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी क्रमांक 02 को उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 194/1, प.ह.नं.25 मौजा गुदमा अंतर्गत स्थित होने तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी के द्वारा अतिक्रमण किये जाने के आशय का प्रतिवेदन प्रतिवादी क्रमांक 01 को प्रेषित

किये जाने के संबंध में पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि शासकीय मद की भूमि होने के कारण प्रतिवादी क्रमांक 03 मध्यप्रदेश शासन का प्रतिनिधित्व करते हुये कलेक्टर/उपसचिव के पद पर पदस्थ होने से औपचारिक रूप से पक्षकार बनाया गया है, जिनसे किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

3— वादी मौजा गुदमा थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट की वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 194/1 रकबा $2^{1/2}$ डिसमिल पर वर्ष 1994 से काबिज होकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा है। वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत गुदमा के अंतर्गत होने के कारण उक्त दुकान के संचालन कार्य के संचालन के पूर्व विधिवत संबंधित पंचायत से अनुमति इस आशय की लियी है कि वह ग्राम पंचायत गुदमा का निवासी है। उसे उसके परिवार के भरणपोषण हेतु उक्त भूमि दुकान के संचालन हेतु दी जावे, तब ग्राम पंचायत गुदमा द्वारा दुकान संचालन की अनुमति दी गई, तभी से वादी वादग्रस्त भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से दुकान का संचालन कर रहा है। वादी द्वारा ग्राम पंचायत गुदमा को लिखित आवेदन प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि पर दुकान का संचालन कार्य स्थाई रूप से किये जाने हेतु निवेदन किया गया था, जिसके पश्चात ग्राम पंचायत गुदमा द्वारा दिनांक 12.12.2000 को आमसभा के समक्ष प्रस्ताव क्रमांक 09 में यह लेख किया गया था कि वादी को चायपान की दुकान जलपान गृह लगाये जाने हेतु अनुमति दी जावे, तब उक्त प्रस्ताव का उपस्थित पंचों एवं अन्य ग्रामीण जन द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था व खसरा नंबर 194/1 घास की भूमि में से चाय पान की दुकान जलपान गृह का संचालन की अनुमति सार्वजनिक रूप से प्रदत्त की गई। उसके बाद वादी द्वारा अपनी दुकान पूर्व में जो कच्ची टट्टा एवं बल्ली की थी, उसमें सुधार किया गया।

4— वादी द्वारा नायब तहसीलदार बैहर(उकवा) के समक्ष उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत गुदमा के प्रस्ताव पंजी में की गई कार्यवाही तथा ग्राम पंचायत को जमा किये गये वृत्तिकर से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार उकवा द्वारा उक्त प्रकरण का वर्ष 2003-04 में अवलोकन कर प्रकरण के निराकरण के पूर्व सरपंच को नोटिस प्रेषित कर आहूत किया जाकर जवाब

तलब किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वर्ष 1999 को पूर्व सरपंच के द्वारा वादी को पट्टा प्रदान किया गया है। वादी वर्ष 2003-04 के पूर्व करीब 15-20 वर्ष पूर्व से होटल का व्यवसाय कर रहा है। दिनांक 24.08.2004, राजस्व प्रकरण क्रमांक 902बी-121/वर्ष 2003-04 में आदेश पारित कर खसरा नंबर 194/1 रकबा $2^{1/2}$ डिसमिल भूमि मद शासकीय पर वादी का नामांतरण दर्ज किये जाने का आदेश पारित हुआ। उक्त आदेश वर्ष 1994 से लगातार कब्जे में बने रहने के कारण वादी उक्त वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व प्राप्ति का हकदार है।

5— प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 द्वारा अनावश्यक रूप से वादी के विरुद्ध अतिक्रमण का प्रकरण बनाकर उसे कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर आहूत किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा उक्त दुकान से कब्जा छोड़ देने का निर्देश देते हुए कहा गया कि उक्त दुकान किसी भी समय तुड़वाई जाकर उसे बेदखल किया जा सकता है तथा अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल के समय बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत अर्धदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 के समक्ष प्रस्तुत जवाब मय दस्तावेज के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात दिनांक 01.05.2015 को प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु निश्चित है। वादी की उक्त दुकान को प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 द्वारा तोड़ दिया जाता है तो वादी को अपूर्ण क्षति होगी, जिससे वादी पर आश्रित परिवार का लालन-पालन प्रभावित होगा। अतः वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 194/1 में से रकबा $2^{1/2}$ डिसमिल भूमि पर निर्मित होटल में प्रतिवादीगण को बेदखल करने, उक्त होटल को तोड़े जाने व उक्त स्थान पर किसी कर्मचारी व अन्य चौकीदार को प्रवेश करने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जावे।

6— पक्षकारों की पहचान के स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त, वादी के अभिवचनों का प्रत्याख्यान कर अपने जवाब में प्रतिवादीगण ने यह कहा है कि संबंधित हल्का पटवारी के राजस्व क्षेत्र में घास मद की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की दशा में अतिक्रमण प्रकरण तैयार कर सुनवाई हेतु संबंधित अधिकारिता प्राप्त तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा संबंधित हल्का पटवारी से अतिक्रमण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सुनवाई का पर्याप्त अवसर के पश्चात अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही करने की अनन्य

अधिकारिता राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों को प्राप्त होने से अतिक्रमण कार्यवाही नायब तहसीलदार उकवा द्वारा संपादित कराई जा रही थी, जो उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में है। उक्त अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्यवाही को रोकने की अधिकारिता वादी को नहीं है। वादी द्वारा अतिक्रमण प्रकरण में जवाब के साथ प्रकरण क्रमांक 902बी-121/2003-04 की छायाप्रति पेश की गई, जिसमें कंडिका क्रमांक 04 में वर्णित किया गया है कि वादी की पत्नी बेगम को भूमि खसरा नंबर 182/1 में से रकबा $0.2^{1/2}$ डिसमिल भूमि के स्थान पर 194/1 किया गया है, मालूम नहीं है, जबकि 182/1 आबादी भूमि का खसरा नंबर है। वादी अन्य आबादी मद की भूमि की आड़ में भूमि खसरा नंबर 194/1 घास मद की शासकीय भूमि को हड़पना चाहता है। अतिक्रमण जवाब के साथ प्रस्तुत आदेश दिनांक 24.08.2004 की कंडिका 05 में स्पष्ट है कि घास मद की शासकीय भूमि का कोई भी पट्टा जारी नहीं किया गया है।

7- वादी का भूमि खसरा नंबर 194/1 रकबा 2.12 एकड़ भूमि में से 0.04/0.016 हे० भूमि पर अतिक्रामक कब्जा है, जिस पर मकान बनाकर ताज होटल व पान की दकान लगाकर व्यवसाय किया जा रहा है, जो कि एक साधन संपन्न व्यक्ति है। गरीब भूमिहीन व जरूरतमंद व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता है, जिसे आवास हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराया जाए जिसका पूर्व से ग्राम गुदमा में मकान हाता-बाड़ी निर्मित है। प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 शासकीय प्राधिकारी होते हुए लोक सेवक है। वादी द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना ही उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है। अतिक्रमण प्रकरण में जवाब के साथ राजस्व अभिलेख स्वरूप पांचसाला खसरा वर्ष 2009 से 2011-12 तक प्रस्तुत की गई, जिसमें अस्थाई पट्टे पर वर्ष 2008 से 03 वर्ष के लिये दिया गया था, जो वर्ष 2011 तक पूर्ण होती है। उसके पश्चात पट्टा के नवीनीकरण या अवधि बढ़ाये जाने हेतु किसी भी सक्षम अधिकारिता प्राप्त न्यायालय या अधिकारी के कोई आदेश प्रस्तुत न होने एवं राजस्व अभिलेख में भी वादी का कब्जा दर्शित नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी का घास मद की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने की दशा में सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद अतिक्रमण हटाये जाने की विधि संगत कार्यवाही पदीय कर्तव्य के निर्वहन में की जा रही है, जिसे अस्थाई व्यादेश के माध्यम से रोके जाने की

अधिकारिता वादी को प्राप्त नहीं है। उपरोक्त आधार पर वादी का दावा निरस्त किया जावे।

8— न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:—

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या मौजा गुदमा प.ह.नं. 25, रा.नि.मं. व तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 194/1 रकबा 0.02 ^{1/2} डिसमिल भूमि पर वादी वर्ष 1994 से कब्जा अनुसार व राजस्व प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 24.08.2004 के अनुसार वादी को स्वत्व प्राप्त है ?	प्रमाणित नहीं।
2.	क्या उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं।
3.	सहायता एवं व्यय ?	कंडिका क्रमांक 16 के अनुसार वाद निरस्त

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-01 का निष्कर्ष

9— वादी मो0 हुसैन वा.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि उसके द्वारा शासकीय मद की खसरा नंबर 194/1 रकबा 0.2^{1/2} डिसमिल भूमि पर वर्ष 1994 के पूर्व अस्थाई दुकान का संचालन किया जाता था, जिस कारण छत, दीवार न होने से प्रतिदिन सामान लाने ले जाने की असुविधा के कारण उसने ग्राम पंचायत गुदमा में उक्त ताज होटल के संचालन हेतु आवेदन दिया था, जिस पर ग्राम पंचायत गुदमा द्वारा आमसभा में प्रस्ताव क्रमांक 09 दिनांक 12.12.2000 पास कर उसे होटल के अस्थाई संचालन हेतु सहमति प्रदान की गई थी, जिसके पश्चात उसके द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त राजस्व प्रकरण क्रमांक 902बी-121/2003-04 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच तथा अन्य व्यक्तियों के कथन लेखबद्ध करने के पश्चात दिनांक 24.08.2004 को उसके पक्ष में आदेश पारित किया गया कि वह वादग्रस्त भूमि धारण करने की पात्रता रखता है तथा उक्त भूमि पर अपना नाम दर्ज करा सकता है। सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा उसे प्रकरण में अतिक्रामक

नहीं माना गया था।

10— मो0 हुसैन वा.सा.01 के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 द्वारा अनावश्यक रूप से उसके विरुद्ध अतिक्रमण का प्रकरण बनाकर उसे सूचना पत्र प्रेषित कर आहूत किया गया तथा जवाब प्रस्तुति के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा उसे वादग्रस्त भूमि का कब्जा छोड़ देने का निर्देश देते हुए कहा गया कि उक्त होटल तोड़कर उसे बेदखल कर दिया जावेगा तथा बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा। प्रतिवादीगण द्वारा बार-बार किसी भी समय उसे बेदखल करने तथा दुकान तोड़ देने के लिये भयभीत किया जाता है। उसका कब्जा वादग्रस्त भूमि पर वैधानिक रूप से बना हुआ है, जो उसे आदेश दिनांक 24.08.2004 के अनुसार प्रदान की गई है तथा इस हेतु उसे अतिक्रमक नहीं कहा जा सकता। प्रतिवादीगण द्वारा उसे बेदखल कर दुकान तोड़ देने से उसे अपूर्ण क्षति कारित होगी और उसके परिवार का लालन-पालन प्रभावित होगा। ऐसी दशा में प्रतिवादीगण को उसके आधिपत्य में दखल देने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जाना आवश्यक है। उसने वाद के समर्थन में राजस्व प्रकरण क्रमांक 902बी-121/वर्ष 2003-04 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2004 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.01, वादग्रस्त भूमि के मकान टैक्स की रसीद प्र.पी.02 लगायत प्र.पी.04 तथा ग्राम पंचायत गुदमा की कार्यवाही पंजी दिनांक 12.12.2000 प्र.पी.05 प्रस्तुत की है। साक्षी के कथनों का समर्थन इजराईल कुरैशी वा. सा.02 तथा भवरसिंह धुर्वे पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गुदमा वा.सा.03 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किया है।

11— प्रतिवादी साक्षी हिम्मतसिंह प्र.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि घास मद की शासकीय भूमि है, जिसके संबंध में किसी भी प्रकार का संकल्प पारित करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है और ना ही ग्राम पंचायत घास मद की भूमि के व्यवस्थापन, निराकरण, बटांकन की अधिकारिता रखता है। संबंधित हल्का पटवारी द्वारा घास मद की भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमण रिपोर्ट मय पंचनामा के राजस्व अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करने पर विधिवत् प्रकरण पंजीबद्ध कर वादी को कारण बताओ सूचना जारी की गई, जिसका जवाब प्रस्तुत कर उसने अतिक्रमक होना स्वीकार किया। सुनवाई का अवसर देने के बाद अतिक्रमण

सिद्ध होने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तत्कालीन नायब तहसीलदार उकवा द्वारा अपने पदीय कर्तव्य में कराई गई। आदेश दिनांक 24.04.2004 की कंडिका क्रमांक 04 में वादी की पत्नी शहनाज बेगम को आबादी भूमि खसरा नंबर 182/1 की रकबा ढाई डिसमिल का पट्टा देने का उल्लेख है, परन्तु वादी द्वारा किस प्रकार उक्त भूमि के स्थान पर खसरा नंबर 194/1 कर लिया मालूम नहीं है। उक्त आदेश की कंडिका क्रमांक 05 में स्पष्ट है कि घास मद की भूमि को कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है, जिससे वादी का वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण कब्जा है।

12— हिम्मतसिंह प्र.सा.01 के अनुसार वादी एक साधन संपन्न व्यक्ति है, जिसे पूर्व में ही ग्राम पंचायत गुदमा द्वारा आबादी मद की ढाई डिसमिल भूमि मकान हाताबाड़ी निर्माण हेतु दी जा चुकी है। प्रतिवादीगण द्वारा घास मद की भूमि पर अतिक्रमण कब्जा पाये जाने पर वादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद विधि के सम्यक् अनुक्रम का पालन करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अपने पदीय कर्तव्य में रहते हुए की जा रही है। ऐसी स्थिति में वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उसने जवाबदावा के समर्थन में नायब तहसीलदार उकवा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 19अ/68 वर्ष 2014-15 की आदेश पत्रिका दिनांक 20.04.2015 से दिनांक 21.05.2015 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.01, हल्का पटवारी के प्रतिवेदन की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.02, पंचनामा प्र.डी.03, वादग्रस्त भूमि का नक्शा प्र.डी.04, नायब तहसीलदार उकवा द्वारा वादी को जारी कारण बताओ सूचना पत्र प्र.डी.05, राजस्व मामलों में अतिक्रमण किये जाने का नोटिस प्र.डी.06, प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्र.डी.07 तथा राजस्व प्रकरण क्रमांक 902बी-121/वर्ष 2003-04 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2004 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.08 प्रस्तुत की है। इसी प्रकार साक्षी जेकेस घोड़ेश्वर प्र.सा.02 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह वर्तमान में पटवारी हल्का नंबर 25/50 में पटवारी के पद पर पदस्थ है। उसके पूर्ववर्ती पटवारी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण रिपोर्ट बनाकर पेश की गई थी, जो खसरा नंबर 194/1 रकबा 2.12 डिसमिल घास मद की है।

13— वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि पर करीब 20 वर्षों से उसका आधिपत्य दर्शित है, परन्तु क्या उक्त

आधिपत्य तथा आदेश दिनांक 24.08.2004 से उसे वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व प्राप्त होता है, यह विचारणीय प्रश्न है। आदेश दिनांक 24.08.2004 प्र.पी.01 के अवलोकन तथा प्रकरण में आई साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि शासकीय घास मद की दर्शित है, जिसे स्वयं वादी द्वारा स्वीकृत किया गया है। धारा-110 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा तत्समय तक सहायक होती है, जब तक विपक्षी वादग्रस्त भूमि पर बेहतर अधिकार दर्शित न कर दे। आदेश दिनांक 24.08.2004 प्र.पी.01 में यह कहा गया था कि वादी वादग्रस्त भूमि पर अपना नामांतरण दर्ज कर सकता है। तदोपरांत नामांतरण के संबंध में वादी की कोई कार्यवाही दर्शित नहीं है और ना ही वर्तमान दिनांक तक किसी राजस्व प्रलेख में वादग्रस्त भूमि पर वादी का नाम दर्शित है। उक्त आदेश में ही वादग्रस्त भूमि के घास मद में होने का उल्लेख है और धारा-244 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के प्रावधान आबादी भूमि के संबंध में है, जबकि वादग्रस्त भूमि घास भूमि है।

14— प्रथमतः कथित आदेश के माध्यम से वादी को वादग्रस्त भूमि पर अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया था, केवल निर्देश दिये गये थे। मात्र कब्जे के आधार पर वादग्रस्त भूमि के स्वामी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा यह दर्शित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय घास मद की भूमि है। पंचायत द्वारा उक्त भूमि पर वादी को दुकान हेतु मात्र सहमति दी गई थी तथा स्वयं तत्कालीन सरपंच भवरसिंह वा.सा.02 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि ग्राम पंचायत को शासकीय घास मद की भूमि के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है एवं प्रतिवादीगण के भी उक्त संबंध में अभिवचन है, जिसे वादी द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है। मात्र ग्राम पंचायत की सहमति के आधार पर वादी के स्वत्व की उपधारणा नहीं की जा सकती। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि राजस्व प्रलेखों में नाम दर्ज होने मात्र से स्वत्व के संबंध में कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। वर्तमान प्रकरण में वादी द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त आदेश में भी मात्र उसे नाम दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया है। फलतः यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि उसे वादग्रस्त भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त है, जिससे विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-02 का निष्कर्ष:-

15- प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से दर्शित है कि अतिक्रमण के संबंध में पटवारी प्रतिवेदन के पश्चात् विधिवत् प्रकरण पंजीबद्ध करने के पश्चात् वादी को सूचना देकर जवाब हेतु अवसर प्रदत्त किया गया तथा वादी द्वारा जवाब प्रस्तुति के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की गई। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई अधिकार दर्शित नहीं है तथा प्रतिवादीगण द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत विधिवत् कार्यवाही करना दर्शित है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि प्रतिवादीगण की कार्यवाही विधि के सम्यक् अनुक्रम में दर्शित है। अतः विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष:-**सहायता एवं व्यय:-**

16- उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणाम स्वरूप वर्तमान वाद अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है तथा निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है:-

अ- वादी वाद व्यय वहन करेगा।

ब- अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका अनुसार जो कम हो वाद व्यय में जोड़ी जावे।

तदनुसार उक्त आशय की आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर,
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो

बैहर बालाघाट म.प्र.

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो

बैहर बालाघाट म.प्र.